न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 6, लखीमपुर–खीरी।

दाण्डिक वाद सं०–422/2008

सरकार बनाम चन्ना सरदार उर्फ गुरूचरन आदि।

अ०सं०–442/2007
धारा–382, 411, 307 भा०दं०सं
व धारा–2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट,
थाना–सिंगाही
जिला–लखीमपुर–खीरी।

दिनांक 30–07–2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त चन्ना सरदार उर्फ गुरूचरन की ओर से उपस्थित कोई नहीं। साक्षी सी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक श्री मो० कलाम का बयान अंकित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त चन्ना सरदार उर्फ गुरूचरन के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित थाने द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से बताया गया है कि अभियुक्त चन्ना सरदार उर्फ गुरूचरन पुत्र हजूरा सिंह निवासी ग्राम टापर मजरा नौरंगाबाद थाना सिंगाही, खीरी की मृत्यु दिनांक 15–05–2026 को हो चुकी है। उक्त के सम्बन्ध में उ०प्र० सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। साक्षी सी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक श्री मो० कलाम द्वारा सशपथ अपने साक्ष्य में अभियुक्त चन्ना सरदार उर्फ गुरूचरन की मृत्यु हो जाने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि करते हुए थाने से प्रेषित आख्या को प्रदर्श ग–1 के रूप में एवं उ०प्र० सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 25–05–2026 को प्रदर्श ग–2 के रूप में साबित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह साबित है कि अभियुक्त चन्ना सरदार उर्फ गुरूचरन की मृत्यु हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप उक्त अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6
लखीमपुर–खीरी।

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.30 17:20:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court